[2021] 8 एस. सी. आर 978

बांका स्नेहा शीला

वी.

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 733)

02 अगस्त, 2021

[आर. एफ. नरीमन और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

निवारक निरोधः तेलंगाना खतरनाक रोकथाम

बूट-लेगर्स, डकैत, ड्रग-अपराधी, गुंडा, अनैतिक यातायात अपराधी भूमि-हड़पने वाले, नकली बीज की गतिविधियाँ अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य मिलावट अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, जुआ अपराधी,

यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम, 1986। 3 (2) - निवारक निरोध-तथ्यों के आधार पर, हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर कई लोगों को रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 50.00 शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से अच्छा लाभ प्रदान करने की आड़ में लाखों-हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ पांच प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जो यू/एस हैं। 420 , 406 और 506 आई. पी. सी.-अंतिम एफ. आई. आर. दर्ज करने के नौ महीने बाद निरोध आदेश पारित किया गया-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए निवारक निरोध के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका-अपील पर कहा गयाः केवल धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात जैसे कानून का उल्लंघन निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है, लेकिन 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने के लिए, यह बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित करना चाहिए-एफ. आई. आर. एस. में आरोप कानून और व्यवस्था के दायरे से संबंधित है जिसमें धोखाधड़ी के विभिन्न कृत्यों को आई. पी. सी. के तहत दंडनीय बंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है-कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका को बनाया जा सकता है-यह दिए गए जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने और/या जमानत रद्द करने का आधार हो सकता है, लेकिन निवारक निरोध कानून का सहारा लेने के लिए नहीं-इस प्रकार, निरोध आदेश को रद्द कर दिया जाता है और विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

एस। 2 (क) स्पष्टीकरण-सार्वजनिक व्यवस्था-व्याख्या। अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 तत्काल मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक, कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका

978 बांका स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य और

ओआरएस।

यह कहा जा सकता है कि यदि यह पकड़ा जाता है कि बंदी, यदि मुक्त किया जाता है, तो भोली-भाली व्यक्तियों को धोखा देना जारी रखेगा। यह एक हो सकता है

जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने और/या जमानत रद्द करने के लिए अच्छा आधार है लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकते हैं।

एक निवारक निरोध कानून के तहत। इसलिए, इस आधार पर निरोध आदेश को रद्द कर दिया जाता है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और बंदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। [पैरा 24] [1005-डी-एफ] 1.2 हालांकि इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि बंदी तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (x) के तहत परिभाषित एक "सफेदपोश अपराधी" हो सकता है, फिर भी एक

आम जनता या उसका कोई खंड या व्यापक कब्र जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा। जैसा कि सर्वविदित है, 'कानून और व्यवस्था', 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा' शब्द एक दूसरे से अलग हैं। [पैरा 11,12] [988-जी-एच; 989-ए-बी]

1.3 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' को बाधित करने के लिए, बदले में सार्वजनिक अव्यवस्था होनी चाहिए। बस।

धोखाधड़ी या आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने जैसे कानून का उल्लंघन

विश्वास का उल्लंघन निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है लेकिन इससे पहले कि इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, इसे समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पांच प्राथमिकियों में जो आरोप लगाया गया है वह 'कानून और व्यवस्था' के दायरे से संबंधित है क्योंकि धोखाधड़ी के विभिन्न कृत्यों को बंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो पांच एफ. आई. आर. एस. में निर्धारित भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं के तहत दंडनीय हैं। निरोध आदेश को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त आदेश का कारण कोई आशंका नहीं है व्यापक सार्वजनिक नुकसान, खतरे या खतरे की आशंका है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि बंदी पांच प्राथमिकियों में से प्रत्येक में अदालतों से अग्रिम जमानत/जमानत प्राप्त करने में सफल रहा था। अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है

अग्रिम जमानत/जमानत गलत तरीके से, इसमें जाने-माने उपाय हैं

स्थिति का ध्यान रखने के लिए सामान्य कानून। राज्य हमेशा दिए गए जमानत आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और/या जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। केवल अग्रिम जमानत/अग्रिम अदालत की रिपोर्टों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना।

21] 8 एस सी आर।

और तत्काल मामले के तथ्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित है। [पैरा 13,14] [991 जी-एच; 992-ए-सी] 1.4 जब किसी व्यक्ति को निवारक रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 और 22 है जो आकर्षित होते हैं न कि अनुच्छेद 19। इसके अलावा, निवारक

निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सामने लाए गए तथ्य सीधे और अनिवार्य रूप से आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच बड़े पैमाने पर नुकसान, खतरे या खतरे या असुरक्षा की भावना पैदा होती है। [पैरा 17] [994-सी-ई]

मधु लिमये बनाम। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (1970) 3

एस. सी. सी. 746-लागू नहीं होता है।

सुब्रमण्यन बनाम। तमिलनाडु राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 699

: [2012] 1 एससीआर 985-प्रतिष्ठित।

पुलिस आयुक्त बनाम। सी. सुनीता (2004) 7 एससीसी 467: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 701; आर. कलावती बनाम तमिलनाडु राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 14: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 74; राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य [1966] 1 एस. सी. आर. 709; फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खंबरा [1980] 2 एस. सी. आर. 1095; विजय नारायण सिंह बनाम। बिहार राज्य (1984) 3 एससीसी 14: [1984] 3 एस. सी. आर. 435; भारत संघ बनाम। युमनाम आनंद (2007) 10 एस. सी. सी. 190: [2007] 5 एस. सी. आर. 60; रेखा बनाम. तमिलनाडु राज्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 244: [2011] 4 एससीआर 740; हरधन साहा बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 3 एससीसी 198: [1975] 1 एससीआर 778; यममान

ओंगबी लेम्बी लीमा बनाम। मणिपुर राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 176 [2012] 1 एस. सी. आर. 1; मुंगाला यादम्मा बनाम। ए. पी. राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 386: [2012] 1 एससीआर 26-संदर्भित

को।

बांका स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य

ओआरएस।

समा अरुणा बनाम। तेलंगाना राज्य (2018) 12 एससीसी 150

: [2017] 4 एस. सी. आर. 52; कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट बनाम।

संगला कोंडम्मा (2005) 3 एस. सी. सी. 666-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भ

(1970) 3 एस. सी. सी. 746

पै

रा 7

अप्रयोज्य रखा गया

[2004] 3 पूरक। एससीआर 701

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2006] 3 पूरक। एससीआर 74

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[1966] 1 एससीआर 709

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1980] 2 एससीआर 1095

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1984] 3 एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2007] 5 एससीआर 60

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2011] 4 एससीआर 740

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

[1975] 1 एससीआर 778

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2012] 1 एससीआर 985

प्रतिष्ठित

पै

रा 21

[2012] 1 एससीआर 1

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2012] 1 एससीआर 26

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2017] 4 एससीआर 52

उद्धृत किया गया

पै

रा 23

(2005) 3 एस. सी. सी. 666

उद्धृत किया गया

पै

रा 23

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

733 2021 से।

उच्च न्यायालय के 31.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की लिखित याचिका संख्या 20146 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से।

गौरव अग्रवाल, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, शाश्वत जी।

विजय बाबू, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. उदय कुमार सागर, सुश्री स्वीना एन.

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

जिसे निवारक को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका है तेलंगाना की धारा 3 (2) के तहत याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ निरोध आदेश [जिसे इसके बाद "निरोध आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है] पारित किया गया बूट की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम-लेगर्स, डकैत, ड्रग-अपराधी, गुंडा, अनैतिक यातायात अपराधी भूमि-हड़पने वाले, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक

अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य मिलावट अपराधी, नकली दस्तावेज अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, जुआ अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम, 1986 (इसके बाद "तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम" के रूप में संदर्भित) को खारिज कर दिया गया था।

3. तेलंगाना के प्रावधानों के तहत निरोध आदेश

खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम दिनांकित 28.09.2020 है। यह डिटेनू के खिलाफ दर्ज की गई पांच प्राथमिकियों को संदर्भित करता है, सभी कथित प्राथमिकियां आईपीसी की धारा 420,406 और 506 के तहत हैं। एफ. आई. आर. में शामिल तथ्य अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2019 तक के हैं और समान हैं। हम 2019 की एफ़. आई. आर. No.705 में निहित तथ्यों को बंदी के खिलाफ दर्ज की गई इसी तरह की एफ़. आई. आर. के नमूने के रूप में निम्नानुसार निर्धारित कर सकते हैं [एफ़. आई. आर. का यह विवरण निरोध आदेश में ही पाया जाना है]:

लगभग 35 वर्षीय रविकांत अपनी कार की सर्विसिंग के लिए महीने में दो से तीन बार अपने गैराज आते थे। मार्च, 2019 के महीने में उक्त रविकांत ने खुद को उच्च न्यायालय के वकील के रूप में पेश किया और वह आने वाले समय में धन का निवेश करेंगे। कंपनियों और शिकायतकर्ता को 100% रिटर्न के लिए पैसे निवेश करने के लिए जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे तीन अधिवक्ता हैं, जिनमें से एक सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) है और दूसरा सीएस (कंपनी एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

सचिव) चंद्रमौली के नाम से, जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष है। उनकी बातों पर विश्वास करने पर, उन्होंने ए/सी नंबर 6714073306 के माध्यम से अपने इंडियन बैंक, शमीरपेट शाखा को फोन पे के माध्यम से Rs.50,000/- हस्तांतरित कर दिया। फिर से 28.05.2019 पर उन्होंने रुपये हस्तांतरित किए। 1,00,000 / - दूसरे निवेश के रूप में फोन पे के माध्यम से और 20.06.2019 पर उन्होंने रु। 1,00,000 / - उनके इंडियन बैंक, गाचीबोवली शाखा खाते से उनके खाते में रुपये की शुद्ध नकदी देने के अलावा। 2,00,000 / - हाथ से। रुपये भेजते समय। 1 बैंक रविकांत ने एक प्रसाद की उपस्थिति में फोन पे के माध्यम से शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि दूसरे निवेश में वह उसे रु। 41,000 / - साल भर प्रति माह और वह रुपये लेगा। 3,000 / - अपने आयोग की ओर। 12.12.2019 पर जब शिकायतकर्ता ने उसे अपने पैसे वापस करने के लिए कहा, तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त रविकांत ने यह कहकर उसे धोखा दिया है कि उसे और पैसा मिलेगा। शिकायतकर्ता के बल पर, पुलिस मामला दर्ज किया गया और जांच की गई "।

5 एफ. आई. आर. के विवरण के बाद यह महत्वपूर्ण ग्राफ आता हैः

" उपरोक्त घटनाओं के कारण, शिकायतकर्ता, पीड़ित और अन्य युवा उम्मीदवार, जो शेयर/शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाहते हैं और

लाभ प्राप्त करना भयभीत हो गया और असुरक्षित महसूस कर रहा था। ये

आप जैसे लोगों द्वारा उनके साथ इसी तरह की धोखाधड़ी के डर से स्टॉक ट्रेडिंग में निवेशकों के बीच विश्वास और विश्वास भी कम हो गया है। वे अच्छा लाभ प्रदान करने की आड़ में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसी तरह की धोखाधड़ी के डर से किसी भी परामर्श या व्यक्तियों से परामर्श करने में संकोच करते हैं। इन पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों के कारण भी

जनता में अशांति "।

4. निरोध आदेश तब 'कार्यप्रणाली' को संदर्भित करता है

एटेनु इस प्रकार हैः

" आप करीमनगर जिले के मूल निवासी हैं। आपने स्नातक पूरा किया है।

(2011 में B.Com) और 2019 में LLB और शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। आपने पीड़ितों के सामने अपना परिचय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दिया है और आपके पास एक सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) और सीएस (कंपनी सचिव) और तीन अधिवक्ताओं की एक टीम है। आपके मुख्य सचिव के पास केंद्र और राज्य सरकारों में विशेषज्ञता और संबंध हैं। आपके पास शेयर विपणन में जानकार व्यक्ति हैं और आने वाली कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं जो [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100% की वापसी सुनिश्चित करें। आप निर्दोष जनता को शेयर विपणन में उनका पैसा निवेश करके अच्छा लाभ प्रदान करने की आड़ में लुभाएंगे। आप अपने परिचित व्यक्तियों से संपर्क करते थे और उन्हें थोड़े समय के भीतर लाभ का आश्वासन देते हुए अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करने के लिए लुभाते थे। इसके अलावा आप खाली चेक देते थे और पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए उनसे कमीशन मांगते थे। योजना के अनुसार, आपने पीड़ितों से फोन-पे के माध्यम से राशि एकत्र की जो आपके बैंक खाते और नेट बैंकिंग से जुड़ी हुई है और व्यक्तिगत रूप से। जब आपको अपने बैंक खाते में पैसे मिले, तो तुरंत आपने प्राप्त राशि को आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

आपकी पत्नी का बैंक खाता। जब पीड़ित आपसे फोन पर संपर्क करते हैं, तो आप पहले उनसे बचना शुरू करते हैं और फिर उनके कॉल को डायवर्ट करते हैं और अंत में उन्हें धोखा देते हैं। बाद में, आपने पीड़ितों से अपने बारे में छिपाने के लिए अपना आवासीय पता बदल दिया। आपने इतने सारे लोगों को रुपये से अधिक का धोखा दिया है। 50.00 शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से अच्छा लाभ प्रदान करने की आड़ में लाखों।

आप मलकाजगिरी के आई. पी. सी. की धारा 406,420 के तहत Cr.No.34/2020 में शामिल हैं।

राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय की सीमा में पुलिस स्टेशन जो आपकी पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि के रूप में संदर्भित है

आपकी नजरबंदी के लिए इसी पर भरोसा नहीं किया जाता है।

5. इसके बाद, निरोध आदेश बताता है कि उपरोक्त सभी प्राथमिकियों में बंदी को अग्रिम जमानत/दी गई है, अंतिम राहत 10.08.2020 पर दी गई है। तब निरोध आदेश

यह हैः

" आपराधिक गतिविधियों की श्रृंखला में आपकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए जैसे कि शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश करके अच्छा लाभ प्रदान करने की आड़ में धोखाधड़ी करना और रुपये से अधिक की भारी राशि एकत्र करना। 50 एक संगठित तरीके से और आपके द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे लाखों

उपरोक्त मामलों में और बाद में सशर्त जमानत पर रिहा होने पर, मुझे संतोष है कि आपके जैसे अपराधी की मुक्त आवाजाही समाज के हित में सुरक्षित नहीं है क्योंकि आपके द्वारा निर्दोष युवाओं के एक अन्य समूह के साथ इसी तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने और शेयर बाजार में उनका पैसा निवेश करके अच्छा लाभ प्रदान करने के बहाने उन्हें धोखा देने की संभावना है, जो आपके लिए हानिकारक हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, जब तक कि आपको ऐसा करने से नहीं रोका गया था

निरोध का उचित आदेश।

XXX XXX बंका स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य और

ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे]

इस प्रकार आप सफेदपोश अपराधों के कृत्यों में लिप्त हुए हैं जैसे कि एकत्र करके इतने लोगों को धोखा देना। रुपये से अधिक। 50 फोन पे और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से और कभी-कभी साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की सीमा में अधिक लाभ प्रदान करने की आड़ में व्यक्तिगत रूप से उनसे लाखों। इसके अलावा आपके कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और युवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं।

क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बाधित करना।

आपको सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकना अनिवार्य है। मुझे लगता है कि सामान्य कानून का सहारा लेना प्रभावी निवारक नहीं हो सकता है- आपको क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल ऐसी आगे की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए, जब तक कि आपको "तेलंगाना अवैध शराब तस्करों, डकैतों, नशीली दवाओं के खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम-अपराधी, गुंडे, अनैतिक यातायात अपराधी, भूमि-हड़पने वाले, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य मिलावट अपराधी, नकली दस्तावेज अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, जुआ अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेद रंग के हत्यारों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम के प्रावधानों को लागू करके हिरासत में नहीं लिया गया हो। अपराधी अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं. 1) "।

याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ पुलिस आयुक्त, साइबराबाद आयुक्तालय [प्रतिवादी संख्या 2] को दिया गया था, जिस पर सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया था, जिसने अपने आदेश 11.11.2020 द्वारा पाया कि वहाँ निरोध आदेश जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण था। तेलंगाना राज्य के आदेश दिनांक 17.12.2020 के अनुसार, निरोध आदेश की पुष्टि की गई थी और निरोध की अवधि 05.10.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्देशित की गई थी।

7. याचिकाकर्ता के साथ-साथ वकील की ओर से तथ्यों और दलीलों का वर्णन करने के बाद विवादित निर्णय

राज्य की ओर से, तब अभिनिर्धारित किया गयाः

" 9. तत्काल मामले में, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उन सभी पांच मामलों में संबंधित अदालतों द्वारा जमानत दी गई थी जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था

21] 8 एस सी आर।

उसे एहतियातन हिरासत में लेना। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि बंदी की अवैध गतिविधियाँ समुदाय के जीवन की गति को बाधित करेंगी जो

यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाता है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के फिर से इसी तरह के कृत्यों में शामिल होने की संभावना है।

पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है "।

निर्णय ने तब मधु लिमये बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (1970) 3 एस. सी. सी. 746,

पुलिस आयुक्त बनाम। सी. सुनीता (2004) 7 एससीसी 467 और आर. कलावती बनाम। तमिलनाडु राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 14, और फिर निष्कर्ष निकालाः

" त्वरित क्रम में किए गए कथित अपराधों में हिरासत में लिए गए लोगों की कार्यप्रणाली निश्चित रूप से सार्वजनिक शांति और शांति को बाधित करेगी। इसलिए संबंधित अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निरोध का आदेश पारित करें, क्योंकि बंदी के कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं। बंदी की अवैध गतिविधियाँ इतनी व्यापक थीं कि वे निश्चित रूप से जीवन की गति को प्रभावित करेंगी और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल थीं। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि सार्वजनिक व्यवस्था और यहां तक कि समुदाय के जीवन की गति को बनाए रखने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेना आवश्यक था। निरोध का आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। निरोध के आधार, जैसा कि विवादित आदेश में इंगित किया गया है, प्रासंगिक और P.D.Act के प्रावधानों के अनुरूप पाए गए हैं। चूंकि बंदी को हिरासत अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए सभी पांच मामलों में जमानत मिल गई थी, इसलिए हिरासत अधिकारी की ओर से यह आशंका जताने में कुछ भी गलत नहीं है कि बंदी के समान अपराध करने की पूरी संभावना है, जो यह निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को फिर से प्रभावित करेगा। बंदी द्वारा कथित अपराधों को करने का त्वरित क्रम यह स्पष्ट करता है कि भविष्य में हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा इसी तरह के अपराध करने की पूरी संभावना है, जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।

सार्वजनिक आदेश "।

8. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने हमारे सामने तीन मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि शिकायत किए गए कृत्यों और निरोध आदेश की तारीख के बीच कोई निकटवर्ती या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि शिकायत किए गए अंतिम कार्य के रूप में

का, जो पहले 3 एफ. आई. आर. एस. [एफ़. आई. आर. एस. दिनांक 12.12.2019,12.12.2019 और 14.12.2019] से स्पष्ट है, दिसंबर 2019 में था जबकि बैंक स्नेहा शीला बनाम।

9 महीने बाद 28.09.2020 पर निरोध आदेश पारित किया गया था। तब उन्होंने

बिना यह स्वीकार किए तर्क दिया कि इन मामलों के तथ्यों पर केवल एक 'कानून और व्यवस्था' की समस्या उत्पन्न होगी, न कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' की समस्या, और इसे पुष्ट करने के लिए इस अदालत के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निरोध आदेश पूरी तरह से विकृत था क्योंकि इसे केवल इसलिए पारित किया गया था क्योंकि अग्रिम जमानत/जमानत आवेदन दिए गए थे। राज्य के लिए कार्रवाई का सही तरीका यह होता कि

आगे कोई अप्रिय घटना होने पर दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कदम उठाना।

9. तेलंगाना राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने इस मामले में निहित आधारों को दोहराया।

निरोध आदेश और तर्क दिया कि बंदी एक आदतन धोखेबाज था जिसने इसलिए भोली-भाली जनता के बीच भय पैदा किया था, और चूंकि उसके भविष्य में इसी तरह के अपराध करने की संभावना थी, इसलिए उसे निवारक रूप से हिरासत में लेना महत्वपूर्ण था, क्योंकि सामान्य कानून का उस पर कोई निवारक प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम द्वारा परिभाषित 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उल्लंघन किया था और उन व्यक्तियों के जीवन की गति को भी बाधित किया था जिन्हें उसके द्वारा धोखा दिया गया था और उनके द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना थी।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नानुसार निर्धारित करना महत्वपूर्ण हैः

" 2. परिभाषाएँ

(क) "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करना" का अर्थ है जब एक शराब तस्कर, एक डकैत, एक नशीली दवा-अपराधी, एक गुंडा, एक अनैतिक यातायात अपराधी, भूमि-हड़पने वाला, एक नकली बीज अपराधी, एक कीटनाशक अपराधी, एक उर्वरक अपराधी, एक खाद्य मिलावट अपराधी, एक नकली दस्तावेज अपराधी, एक अनुसूचित वस्तु अपराधी, एक वन अपराधी, एक जुआ खिलाड़ी।
अपराधी, एक यौन अपराधी, एक विस्फोटक पदार्थ अपराधी, एक हथियार अपराधी, एक साइबर अपराध अपराधी और एक सफेद कॉलर या वित्तीय अपराधी लगे हुए हैं या इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।

सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना वाली अपनी किसी भी गतिविधि में शामिल होनाः

व्याख्याः - इस खंड के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जाएगा या संभवतः सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट माना जाएगा।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के लिए, यदि इस खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच किसी भी नुकसान, खतरे या खतरे या असुरक्षा की भावना का कारण बन रही है या गणना की जा रही है।

गंभीर व्यापक-जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा फैलाना;

XXX XXX XXXX

(x) "सफेदपोश अपराधी" या "वित्तीय अपराधी" का अर्थ है -

वह व्यक्ति जो अपराध करता है या अपराध करने में सहायता करता है तेलंगाना के जमाकर्ताओं के संरक्षण के तहत दंडनीय

वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 17) या धारा 406 से 409 या 417 से 420 या भारतीय संविधान के अध्याय 18 के तहत दंड संहिता, 1860 "।

" खंड 3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति

(1) सरकार, यदि किसी भी शराब तस्कर, डकैत, नशीली दवाओं के अपराधी, गुंडा, अनैतिक यातायात अपराधी, भूमि हड़पने वाला, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य मिलावट अपराधी, नकली दस्तावेज अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, जुआ खेलने वाले के संबंध में संतुष्ट हो सकती है।

अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी जो उसे किसी भी मामले में कार्रवाई करने से रोकने की दृष्टि से हो।

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से, यह है ऐसा करने के लिए आवश्यक, एक आदेश दें कि ऐसा व्यक्ति

हिरासत में लिया गया "।

" धारा 13. नजरबंदी की अधिकतम अवधि

अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है धारा 12 के तहत पुष्टि की गई है, हिरासत की तारीख से बारह महीने होंगे।

11. हालांकि इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि बंदी तेलंगाना की धारा 2 (x) के तहत परिभाषित "सफेदपोश अपराधी" हो सकता है।

खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, फिर भी एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब उसकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण में सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान, खतरा या चेतावनी या बांका स्नेहा शीला बनाम की भावना के रूप में परिभाषित किया गया है।

आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच असुरक्षा या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर व्यापक खतरा।

12. जैसा कि सर्वविदित है, 'कानून और व्यवस्था', 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा' शब्द एक दूसरे से अलग हैं। राम में

मनोहर लोहिया बनाम। बिहार राज्य (1966) 1 एस. सी. आर. 709 इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न भारत रक्षा नियमों के नियम 30 के तहत बनाए गए एक निवारक निरोध आदेश के तहत उत्पन्न हुआ, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने की संभावना वाले व्यक्ति की आशंका और निरोध की अनुमति देता है। इस न्यायालय ने केवल कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के बीच का अंतर निम्नानुसार निर्धारित कियाः

भारत की सुरक्षा शांति और शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की सीमा जबकि भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा अभिव्यक्ति भारत और उसके लोगों की बाहर से आक्रामकता और देश के भीतर व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ रक्षा को दर्शाती है। इन सामान्य शब्दों का उपयोग इसलिए किया गया था क्योंकि अधिनियम कार्रवाई की एक जाली व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करता है जिसमें निवारक निरोध केवल एक छोटा सा हिस्सा है। नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने में, भारत की रक्षा की धारा 3 अधिनियम विवरणों के विनिर्देशन द्वारा प्रस्तावना की शर्तों पर विस्तार करता है। यह बिना किसी बदलाव के भारत की रक्षा और नागरिक रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की बात करता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, सैन्य अभियानों के कुशल संचालन और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने में सार्वजनिक हित के विचार का विस्तार करता है। फिर यह उसी धारा के खंड (15) में चित्रण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा में आशंका और निरोध की शक्ति का उल्लेख करता है जिसे नियमों द्वारा गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट की रैंक से कम न होने पर), संदिग्धों को, उस प्राधिकरण के सामने उचित होने के आधार पर हिरासत में लेना।

(क) शत्रुतापूर्ण मूल का होना; या

(ख) अभिनय करना, अभिनय करना या अभिनय करने वाला होना या करने की संभावना होना।

इस तरह से कार्य करें जो-[2021] 8 एस. सी. आर. के लिए प्रतिकूल हो।

((i) भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा; ((ख) राज्य की सुरक्षा;

(v) विदेशी राज्यों के साथ भारत के संबंधः ((vi) भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखना। या

भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र की स्थितियों को अलग से देखा जा सकता है, भले ही सख्ती से एक खंड का दूसरे पर प्रभाव या असर हो सकता है। फिर नियम 30 का पालन किया जाता है, जो उपरोक्त शर्तों को दोहराता है और किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से हिरासत में रखने की अनुमति देता है। डॉ. लोहिया का यह तर्क स्पष्ट है कि शर्तों को संचयी रूप से लागू किया जाना है असमर्थनीय। नियम 30 का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है जिसे हमने पहले उद्धृत किया था और जो धारा 3 (15) की योजना का अनुसरण करता है। सवाल यह है कि क्या डॉ. लोहिया को "सार्वजनिक व्यवस्था" के खिलाफ "कानून और व्यवस्था" के पूर्वाग्रह से निपटने से रोकने के लिए सत्ता लेकर जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों से बाहर चले गए।

[पृष्ठ 738-739]

XXX XXX XXX

हमारे पास यहाँ भारत रक्षा नियमों के नियम 30 के तहत हिरासत का एक मामला है जो किसी व्यक्ति की आशंका और हिरासत की अनुमति देता है जो इस तरह से कार्य करने की संभावना रखता है जो उसके रखरखाव के लिए प्रतिकूल है।

सार्वजनिक आदेश। यह इस प्रकार है कि यदि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता है तो सार्वजनिक अव्यवस्था अनुमानित परिणाम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से भी अव्यवस्था को रोका जा सकता है, लेकिन अव्यवस्था एक व्यापक वर्णक्रम है जिसमें एक छोर पर छोटी गड़बड़ी और दूसरे पर सबसे गंभीर और विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं। क्या "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति हर तरह के विकारों को स्वीकार करती है या उनमें से कुछ को ही? इसका उत्तर "सार्वजनिक व्यवस्था" को "कानून और व्यवस्था" से अलग करने का काम करता है क्योंकि बाद वाला निस्संदेह उन सभी को लेता है। यदि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है, तो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा होनी चाहिए।

एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

शांति के हर उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। कब

दो शराबी लड़ते हैं और वहाँ अव्यवस्था है लेकिन सार्वजनिक नहीं है

अव्यवस्था। उन्हें बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है कानून और व्यवस्था लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि वे

जुनून। समस्या अभी भी कानून और व्यवस्था की है लेकिन यह उठाती है सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका। अन्य उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है।

कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है लेकिन इससे पहले अगर हो सकता है

सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कहा जाता है, यह समुदाय या को प्रभावित करना चाहिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक। केवल कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण

इस प्रकार विकार आवश्यक रूप से कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है

भारत का बचाव अधिनियम लेकिन अशांति जो जनता को विचलित करती है

नियम 30 (1) (बी) सार्वजनिक व्यवस्था के विध्वंस को रोकने के लिए लेकिन सहायता में नहीं सामान्य परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।

इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि इस निर्णय में "सार्वजनिक व्यवस्था" के रूप में न्यायालय (पहले उद्धृत) को कम के विकारों को समझने के लिए कहा जाता था

"राज्य की सुरक्षा", "कानून और व्यवस्था" को प्रभावित करने वालों की तुलना में गंभीरता

प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण के विकारों को भी समझता है

" सार्वजनिक आदेश "। तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून

और क्रम सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला है

और व्यवस्था लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था नहीं सिर्फ एक अधिनियम के रूप में जनता को प्रभावित कर सकता है आदेश लेकिन राज्य की सुरक्षा नहीं। अभिव्यक्ति का उपयोग करके

" कानून और व्यवस्था का रखरखाव "जिला मजिस्ट्रेट था

अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और इसमें एक खंड जोड़ रहा था भारत की रक्षा नियम "।

[पृष्ठ 745-746]

13. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' को बाधित करने के लिए,

बदले में सार्वजनिक अव्यवस्था होनी चाहिए। केवल कानून का उल्लंघन जैसे कि

धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात निश्चित रूप से 'कानून व्यवस्था' को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, इसे बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

14. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पांच एफ. आई. आर. एस. में जो आरोप लगाया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को धोखा देने के विभिन्न कृत्यों में 'कानून और व्यवस्था' के दायरे में

ये हिरासत में लिए गए लोगों से संबंधित हैं जो पांच प्राथमिकियों में निर्धारित भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं के तहत दंडनीय हैं। निरोध आदेश को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त आदेश का कारण व्यापक सार्वजनिक नुकसान, खतरे या खतरे की कोई आशंका नहीं है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि बंदी पांच प्राथमिकियों में से प्रत्येक में अदालतों से अग्रिम जमानत/जमानत प्राप्त करने में सफल रहा था। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अग्रिम जमानत/जमानत दी जाती है, तो इसमें जाने-माने उपाय हैं -

स्थिति का ध्यान रखने के लिए सामान्य कानून। राज्य हमेशा दिए गए जमानत आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और/या जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। केवल अग्रिम जमानत/जमानत आदेशों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना बंदी को हिरासत में लेने का वास्तविक आधार होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए) में आम जनता के बीच हानि, खतरा या खतरे या सुरक्षा की भावना की बात की गई है और वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित है।

15. इस स्तर पर, तेलंगाना राज्य द्वारा दायर 17.07.2021 दिनांकित जवाबी हलफनामे का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 18

जवाबी हलफनामा सभी पाँचों मामलों में अदालतों द्वारा जमानत देने को संदर्भित करता है। एफ. आई. आर. एस., जो निरोध आदेश के पारित होने का वास्तविक कारण है, निम्नानुसार हैः

" 18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्णय रिकॉर्ड पर सामग्री के अवलोकन पर आधारित है जिससे पता चलता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालतों द्वारा जमानत दी गई थी सभी पाँच मामलों में संबंधित व्यक्ति को निवारक रूप से हिरासत में रखने के लिए हिरासत प्राधिकरण द्वारा उस पर भरोसा किया गया था। उत्तरदाता सं. 2 यहाँ

अपना संतोष दर्ज किया कि बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं, और यह कि सामान्य कानून बंदी को आगे पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए एक प्रभावी निवारक नहीं हो सकता है। इसके अलावा, जिन सामग्रियों और परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे व्यक्तिपरक संतुष्टि को दर्शाते हैं

हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी किसी भी कारण से दागी या अवैध नहीं है। इसलिए निरोध आदेश का पारित होना इस बात पर विचार करते हुए उचित है कि बंदी की अवैध गतिविधियों से समुदाय के जीवन की गति बाधित होगी, जो इसे लोगों के लिए प्रतिकूल बनाती है। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के फिर से इसी तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की निकट संभावना है।

जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 21 में इस प्रकार कहा गया हैः " 21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे कृत्यों में जो सार्वजनिक शांति को बाधित करते हैं या शांति का उल्लंघन करते हैं, एक संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

लेकिन एक उदार व्याख्या और अभिव्यक्ति 'में' दी जानी चाहिए

'सार्वजनिक व्यवस्था' का हित बहुत व्यापक है जैसा कि इस माननीय न्यायालय ने मधु लिमये बनाम उपखंड में माना है।

मजिस्ट्रेट ने ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2486 में रिपोर्ट की। इसलिए यह

प्रतिवादी सं. 2, उक्त निरोध आदेश पारित करने से पहले

महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया कि क्या बंदी की गतिविधियाँ जनता के लिए प्रतिकूल थीं और क्या सार्वजनिक व्यवस्था केवल ऐसे उल्लंघन से प्रभावित हो सकती है जो समुदाय या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है।

16. मधु लिमये बनाम का संदर्भ। उप-मंडल

इस्ट्रेट (सुप्रा) पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यह निर्णय "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" अभिव्यक्ति के ई से संबंधित है जो आता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (2) से 19 (4)। इस फैसले की टिप्पणियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ई को चुनौती देने के संदर्भ में थीं। महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

राम मनोहर लोहिया (ऊपर) में टिप्पणी और फिर राय दीः

" 19. इस परीक्षण को अपनाते हुए हम कह सकते हैं कि राज्य केंद्र में है और समाज इसे घेरता है। समाज की अशांति जीवन की शांति में अधिक अशांति से लेकर राज्य को खतरे में डालने तक व्यापक रूप से जाती है। जब हम सबसे बड़े वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर यात्रा करते हैं तो क्रियाएं गंभीर हो जाती हैं। इस यात्रा में हम पहले सार्वजनिक शांति के माध्यम से यात्रा करते हैं, फिर सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से और अंत में राज्य की सुरक्षा के लिए। 20. निवारक निरोध के संदर्भ में "सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव" वाक्यांश से निपटने में, हमने प्रासंगिक अधिनियम में अभिव्यक्ति को दूसरे घेरे में शामिल किया और जो सबसे बड़े घेरे में था उसे छोड़ दिया। लेकिन यह विचार हमेशा लागू होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीवन की सम गति की छोटी स्थानीय गड़बड़ी को एक अर्थ में "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने के लिए कहा जा सकता है।

एक अलग अर्थ में, अर्थात्, कानून की स्थिति के अर्थ में

दूसरों की सुरक्षा का पालन करना। हमारे निर्णय में संविधान में "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" अभिव्यक्ति न केवल उन कार्यों को अपने भीतर लेने में सक्षम है जो परेशान करते हैं।

राज्य की सुरक्षा या जैसा वर्णित है सार्वजनिक आदेश के भीतर कार्य करना, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं या शांति का उल्लंघन करते हैं। अभिव्यक्ति को एक संकीर्ण अर्थ देना आवश्यक नहीं है क्योंकि, जैसा कि देखा गया है, "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" अभिव्यक्ति बहुत व्यापक है। [2021] 8 एस. सी. आर. के बारे में जो भी कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव "विशेष कानूनों के संदर्भ में जिसमें शुद्ध व्यक्तिपरक मामलों पर बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेना शामिल है।

कार्यपालिका का निर्धारण अन्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता है।

परिस्थितियाँ। पूर्ववर्ती मामले में इस न्यायालय ने अर्थ को गंभीर प्रकरणों तक सीमित कर दिया, जिसमें कानून और व्यवस्था के मामले शामिल नहीं हैं, जो सार्वजनिक शांति में बाधा नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक आदेश हैं। 99 '

17. जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी नागरिक की स्वतंत्रता की बात आती है तो इन टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर निकालना बहुत बड़े खतरे से भरा होगा। संकीर्ण को न अपनाने का कारण उस मामले में 'सार्वजनिक व्यवस्था' का अर्थ "के हितों में" अभिव्यक्ति के कारण था जो अनुच्छेद 19 (2) से 19 (4) में आता है और जिसे केवल तभी सेवा में लगाया जाता है जब किसी कानून को चुनौती दी जाती है

संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक। जब किसी व्यक्ति को निवारक रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 और 22 है जो आकर्षित होते हैं न कि अनुच्छेद 19। इसके अलावा, निवारक निरोध अनुच्छेद 22 और विचाराधीन क़ानून के साथ पठित अनुच्छेद 21 के चार कोनों के भीतर आना चाहिए। इसलिए यह तर्क देना कि निवारक निरोध क़ानून के संदर्भ में 'सार्वजनिक व्यवस्था' अभिव्यक्ति को एक उदार अर्थ दिया जाना चाहिए, पूरी तरह से अनुचित और गलत है। इसके विपरीत, यह मानते हुए कि निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सामने लाए गए तथ्य सीधे और अनिवार्य रूप से आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच नुकसान, खतरे या खतरे या असुरक्षा की भावना का कारण बनें। 18. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने हमें निवारक निरोध के मामलों में उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय की भूमिका के बारे में याद दिलाया है। इस प्रकार, फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा (1980) 2 एस. सी. आर. 1095, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित कियाः

" निवारक निरोध के मामलों में अदालत की भूमिका के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं हैः यह शाश्वत सतर्कता का होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है और इसे अक्षुण्ण रखने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। न्यायालय की रिट अंतिम है।

अवैध हिरासत के खिलाफ बीमा। संविधान आदेश देता है कि

अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुरूप और न्यायालय सटीक अनुपालन करता है। अनुच्छेद 22 (5) बंदी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है। यहाँ कानून है रिपोर्ट एक कहानी बताती है और सबक सिखाती है। यह है कि बंदी का प्रमुख दुश्मन और प्रतिनिधित्व करने का उसका अधिकार न तो उच्च अधिकार है और न ही मतलबी है, बल्कि अनौपचारिक एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

उदासीनता, अविवेकी असंवेदनशीलता, दिनचर्या और लालफीताशाही नौकरशाही मशीन "।

इसी तरह, विजय नारायण सिंह बनाम। बिहार राज्य (1984) 3 एससीसी

3 - इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ (जिसमें ए. पी. सेन, जे. असहमत),

अतरमैया, जे., बहुमत के लिए बोलते हुए, हमें याद दिलाते हैंः

" 32. ..... यह अच्छी तरह से तय है कि निवारक निरोध का कानून एक है

कठोर कानून और इसलिए इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए।

मामला पूरी तरह से संबंधित कानून के चार कोनों के भीतर आता है। निवारक निरोध के कानून का उपयोग केवल क्लिप बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए

एक अभियुक्त की शाखा जो आपराधिक अभियोजन में शामिल है।

इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना नहीं है। जब सामान्य आपराधिक कानून के तहत विरोध करना संभव नहीं हो सकता है

जमानत के आदेश जारी करना, जब तक कि उपलब्ध सामग्री ऐसी न हो -

अधिकृत करने वाले कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा

इस तरह की गिरफ्तारी। जब किसी व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है।

आपराधिक अदालत, जांच में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए

निवारक निरोध के आदेश की वैधता जो इस पर आधारित है वही आरोप जिस पर आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।

[जोर दिया गया]

ओ. चिनप्पा रेड्डी, जे. ने एक संक्षिप्त सहमति वाले फैसले में यह भी निर्धारित किया है कि

निवारक निरोध की संवैधानिक मूल बातें इस प्रकार हैंः

" मैं अपने भाई जे. वेंकटरमैया से पूरी तरह सहमत हूँ।

बिहार नियंत्रण के प्रावधानों की व्याख्या का प्रश्न

अपराध अधिनियम, 1981 और के आदेश के प्रभाव के प्रश्न पर घटना से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही में जमानत का अनुदान

उनका सम्मान करते हुए, मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं सहमत नहीं हो सकता। मेरे भाई सेन, जे. के साथ उनके द्वारा व्यक्त किए गए कई विचारों पर

अपनी असहमति में। विशेष रूप से, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि "वे

जो राष्ट्रीय सुरक्षा या रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं

सार्वजनिक व्यवस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र न्यायाधीश होना चाहिए। या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है "यह बहुत खतरनाक प्रस्ताव है। हमारा

संविधान किसी भी अंग को कार्टे ब्लैंच नहीं देता है

ऐसे मामलों में राज्य एकमात्र मध्यस्थ होगा। निवारक निरोध [2021] 8 एस. सी. आर.

सभ्य विचार और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए इतना विश्वासघाती और ऐसा अभिशाप माना जाता है जो अनुचित के खिलाफ सुरक्षा करता है

बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की शक्ति का प्रयोग, संविधान में ही बनाया गया है और मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। दोनों छोर पर एक-एक प्रहरी होते हैं। विधायिका को उन सीमाओं को सीमित करने वाला कानून बनाने की आवश्यकता है जिनके भीतर

व्यक्तियों को निवारक रूप से हिरासत में लिया जा सकता है और प्रावधान किया जा सकता है

संविधान और न्यायालयों द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय हैं -

जाँच करने की आवश्यकता है, जब मांग की गई है, क्या वहाँ है

कोई भी अत्यधिक निरोध, अर्थात क्या संविधान और विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया गया है।

निवारक निरोध न्यायिक जांच से परे नहीं है। जबकि पर्याप्तता या पर्याप्तता चुनौती का आधार नहीं हो सकती है, प्रासंगिकता और निकटता निश्चित रूप से चुनौती का आधार हैं। न ही यह अदालत के लिए है कि वह खुद को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की स्थिति में रखे और खुद को संतुष्ट करे कि अप्रमाणित तथ्य अपराध का मार्ग प्रकट करते हैं। मैं अपने भाई जे. सेन से सहमत हूं, जब वे कहते हैं, "यह हमेशा से इस न्यायालय का विचार रहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जाए।

समय की अवधि, भले ही कम हो, बुनियादी के साथ पूरी तरह से असंगत है।

हमारी सरकार के विचार और बुराई की गंभीरता

समाज विरोधी गतिविधियों से उत्पन्न समुदाय कभी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर।

19. भारत संघ में v. युन्नम आनंद (2007) 10 एस. सी. सी. 190, न्यायालय ने इनमें से कुछ सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहरायाः

" 8. निवारक निरोध के मामले में कोई अपराध साबित नहीं होता है, न ही कोई आरोप तैयार किया जाता है और इस तरह के निरोध का औचित्य है -

संदेह या तर्कसंगतता और कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है जो केवल कानूनी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। निवारक न्याय की आवश्यकता है

आपत्तिजनक पकड़े जाने को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई

गतिविधियाँ। (आर. वी. देखें। हैलिडे [1917 एसी 260: (1916-17) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1284: 86 एलजे के. बी. 116: 116 एल. टी. 417 (एच. एल.)] और क्यूबिक दारुज़

बनाम। भारत संघ [(1990) 1 एस. सी. सी. 568: 1990 एससीसी (सीआरआई) 227: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 605]। लेकिन साथ ही, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी मानव स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है, और इसलिए,

निवारक निरोध के कानूनों का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है, और

प्रक्रियात्मक सुरक्षा के साथ सावधानीपूर्वक अनुपालन, चाहे वह तकनीकी ही क्यों न हो, अनिवार्य है। आदिम की मजबूरियों की आवश्यकता एन. के. ए. स्नेहा शीला v.

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

समाज में व्यवस्था बनाए रखना, जिसके बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी अधिकारों का आनंद लेना उनके सभी अर्थ खो देगा, निवारक निरोध के कानूनों के लिए सही औचित्य हैं। इस अधिकार क्षेत्र को "संदेह के अधिकार क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया गया है, और स्वतंत्रता के मूल्यों को संरक्षित करने की मजबूरियां

लोकतांत्रिक समाज और सामाजिक व्यवस्था कभी-कभी योग्य होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती। (अय्या वी. देखें। की स्थिति

उत्तर प्रदेश [(1989) 1 एस. सी. सी. 374: 1989 एससीसी (सीआरआई) 153: ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 364]) थॉमस जेफरसन ने कहा कि लिखित कानून का ईमानदारी से पालन करके अपने देश को खोना, कानून को खोना होगा, बेतुका रूप से साधनों के अंत का त्याग करना। कोई भी कानून अपने आप में एक अंत नहीं है और

राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के कारणों से स्वतंत्रता में कटौती को एक आवश्यक बुराई के रूप में सख्त संवैधानिक प्रतिबंधों के तहत प्रशासित किया जाना चाहिए। कोई कार्टे ब्लैंच नहीं दिया जाता है राज्य के किसी भी अंग को ऐसे मामलों में एकमात्र मध्यस्थ होना।

20. रेखा वी. तमिलनाडु राज्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 244, इस न्यायालय की न्यायपीठ ने अनुच्छेदों के बीच परस्पर क्रिया की बात की।

डी 22 इस प्रकार हैः

" 13. हमारी राय में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) जो निवारक निरोध की अनुमति देता है, संविधान के अनुच्छेद 21 का केवल एक अपवाद है। एक अपवाद एक अपवाद है, और नहीं कर सकते

आम तौर पर मुख्य नियम की पूरी ताकत को रद्द कर दें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए हैं, न कि उन्हें बिना किसी वकील का सहारा लिए और बिना किसी मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखने के लिए। जैसा कि आर. वी. में देखा गया है। सिकरी। गृह विभाग के लिए राज्य का। , एक्स पी स्टैफोर्ड [(1998) 1 डब्ल्यूएलआर 503 (सीए)]: (डब्ल्यूएलआर पी। 518

एफ-जी)

बिना मुकदमे के कार्यकारी विवेक का प्रयोग करके कारावास की एक पर्याप्त अवधि लागू करना, कानून के शासन की सामान्य अवधारणाओं के साथ असहज रूप से निहित है।

इसलिए, अनुच्छेद 22 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। एक अपवाद केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में लागू हो सकता है, और यह मुख्य नियम को ओवरराइड नहीं कर सकता है। 14. अनुच्छेद 21 भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण है। एक नागरिक की स्वतंत्रता एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमारे पूर्वजों ने लंबे, ऐतिहासिक [2021] 8 एस. सी. आर. के बाद जीता है।

और कठिन संघर्ष। हमारे संस्थापकों को इसके मूल्य का एहसास हुआ क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देशवासियों की नागरिक स्वतंत्रताओं को विदेशियों द्वारा कुचले जाने को देखा था, और इसलिए वे दृढ़ थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ-साथ सर्वोच्च आधार पर रखा जाएगा।

भारत के लोगों का मूल अधिकार।

XXX XXX XXX

17. संविधान का अनुच्छेद 22 (1) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसका बचाव करने का मौलिक अधिकार देता है। लेकिन अनुच्छेद 22 (3) विशेष रूप से प्रयोज्यता को बाहर करता है।

निवारक निरोध के मामलों के लिए अनुच्छेद 22 के खंड (1)। इसलिए, हमें निवारक निरोध की शक्ति को बहुत संकीर्ण सीमाओं तक सीमित रखना चाहिए, अन्यथा हमारे संस्थापकों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का महान अधिकार, जो लंबे, कठिन और ऐतिहासिक संघर्षों के बाद स्वतंत्रता सेनानी भी थे, निरर्थक हो जाएगा।

इस न्यायालय ने कुछ विस्तार से, वैचारिक प्रकृति घटनात्मक निरोध कानून पर चर्चा कीः

" 29. निवारक निरोध, स्वभाव से, लोकतांत्रिक विचारों के प्रतिकूल और कानून के शासन के लिए एक अभिशाप है। इस तरह का कोई कानून नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में (युद्ध के समय को छोड़कर)। हालाँकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) निवारक की अनुमति देता है। निरोध, हम इसे अवैध नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन हमें निवारक निरोध की शक्ति को बहुत संकीर्ण सीमाओं के भीतर सीमित करना चाहिए, अन्यथा हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के महान अधिकार को छीन लेंगे जो लंबे, कठिन और ऐतिहासिक संघर्षों के बाद जीता गया था। अतः यह इस प्रकार है कि यदि देश का सामान्य कानून (दंड संहिता और अन्य दंडात्मक कानून) ऐसा कर सकता है

एक स्थिति से निपटने के लिए, एक निवारक निरोध कानून का सहारा लेंगे

अवैध होना।

30. जब भी किसी निवारक निरोध कानून के तहत कोई आदेश दिया जाता है

अदालत को अपनी वैधता तय करने में जिन प्रश्नों को पूछना चाहिए, उनमें से एक को चुनौती दी गई हैः क्या देश का सामान्य कानून इससे निपटने के लिए पर्याप्त था

स्थिति? यदि उत्तर सकारात्मक है, तो निरोध आदेश अवैध होगा। वर्तमान मामले में, बंदी के खिलाफ आरोप लेबल बदलने के बाद एक्सपायर हो चुकी दवाओं को बेचने का था। निश्चित रूप से दंड संहिता और औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थे।

एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम। तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

इसलिए, हमारी राय में, इस कारण से भी निरोध आदेश में

[जोर दिया गया]

सवाल अवैध था। " एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में, इस न्यायालय ने तब कुछ सामान्य मामलों पर विचार किया

हरधन साहा बनाम में संविधान पीठ द्वारा दिए गए वशन। द.

पश्चिम बंगाल (1975) 3 एस. सी. सी. 198 निम्नानुसार हैः

जो अधिकारियों को निरोध आदेश पारित करने से नहीं रोकता है एक निवारक निरोध कानून के तहत। यह अवलोकन, समझने के लिए

सही ढंग से, हालांकि, की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में संवैधानिक योजना

(जिसे हम पहले ही समझा चुके हैं)। अनुच्छेद 22 (3) (बी) केवल एक है

अनुच्छेद 21 का अपवाद और यह स्वयं एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 21 है जो मौलिक विषयों पर पूरे अध्याय के केंद्र में है।

हमारे संविधान में अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है कि पहले

एक व्यक्ति को जेल भेजने के लिए एक मुकदमा आमतौर पर दिया जाना चाहिए

उसे अपने वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अवसर मिलता है। यह.

इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी है, या वास्तव में किया जा रहा है मुकदमा चलाया गया, एक आपराधिक अपराध के लिए, लेकिन साधारण आपराधिक कानून (

दंड संहिता या अन्य दंडात्मक कानून) से निपटने में सक्षम नहीं होंगे

स्थिति, और केवल तभी, निवारक निरोध कानून हो सकता है सहारा लिया जाए।

34. इसलिए, हरधन साहा में एस. सी. सी. पैरा 34 में अवलोकन

मामला [(1975) 3 एससीसी 198: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 816] पर विचार नहीं किया जा सकता है

एक अपराधी में अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, या वास्तव में मुकदमा चलाया जा रहा है अदालत एक निवारक के तहत एक निरोध आदेश भी पारित कर सकती है।

35. यह याद रखना चाहिए कि निवारक निरोध के मामलों में कोई अपराध साबित नहीं होता है और इस तरह की नजरबंदी का औचित्य है

संदेह या उचित संभावना, और कोई दृढ़ विश्वास नहीं है जो

केवल कानूनी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। निवारक हिरासत है

अक्सर "संदेह के अधिकार क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया जाता है (राज्य के अनुसार)

महाराष्ट्र बनाम. भाऊराव पंजाबराव गवांडे [(2008) 3 एससीसी

613 : (2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 128], एस. सी. सी. पैरा 63)।

प्राधिकारी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निरोध का आदेश पारित करता है। चूँकि अनुच्छेद 22 का खंड (3) विशेष रूप से प्रयोज्यता को बाहर करता है।

36. यह माना गया है कि स्वतंत्रता का इतिहास प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का इतिहास है। (कमलेशकुमार ईश्वरदास को देखें। पटेल बनाम। भारत संघ (1995) 4 एस. सी. सी. 51: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 643] पैरा 49 के माध्यम से) इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है -

अदालत और उनकी कठोरता द्वारा उत्साहपूर्वक देखा और लागू किया गया बंदी की कथित गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इसे कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि रतन में देखा गया है

सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 481: 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 853]: (एस. सी. सी पी. 483, पैरा 4) " 4. ..... हो सकता है कि बंदी एक तस्कर हो जिसकी जनजाति (और उनकी संख्या कैसे बढ़ती है!) यह सहानुभूति का पात्र नहीं है क्योंकि इसकी गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। लेकिन निवारक निरोध के कानून उनके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए केवल कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, और यदि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में कोई अर्थ है, तो यह आवश्यक है कि कम से कम उन सुरक्षा उपायों से बंदियों को वंचित नहीं किया जाए। "

XXX XXX XXX

डेल मामला [(1881) 6 क्यूबीडी 376 (सीए)]: (क्यू. बी. डी पी. 461) " फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सवाल आता है। यह एक सामान्य नियम है, जिस पर हमेशा इंग्लैंड की अदालतों द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कारावास प्राप्त करता है तो उसे अवश्य करना चाहिए।

ऐसा करने के लिए कदमों का ध्यान रखें, जो सभी पूरी तरह से नियमित हैं, और एन. के. ए. स्नेहा शीला बनाम।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

कि अगर वह इस प्रक्रिया में हर कदम का अत्यधिक पालन करने में विफल रहता है नियमित रूप से अदालत कारावास को जारी रखने की अनुमति नहीं देगी। 9999

[जोर दिया गया]

21. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो उनकी ओर से पेश हुए

तेलंगाना राज्य सुब्रमण्यम बनाम पर दृढ़ता से निर्भर था। की स्थिति

इलनाडु (2012) 4 एस. सी. सी. 699, और विशेष रूप से पैराग्राफ 14 पर

5 जो इस प्रकार है:

" 14. यह अच्छी तरह से तय है कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है

असाधारण और बेहद सीमित आधारों पर। अदालत ऐसा नहीं कर सकती। हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की राय के स्थान पर अपनी राय रखें जब

व्यक्तिपरक संतुष्टि के गठन के लिए हिरासत प्राधिकरण कि उसे रोकने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना

सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना आवश्यक है और

कि इस तरह की संतुष्टि व्यक्तिपरक है और उद्देश्यपूर्ण नहीं है। वस्तु।

निवारक निरोध का कानून दंडात्मक नहीं है बल्कि केवल निवारक है

और आगे कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने में कार्यपालिका की कार्रवाई

केवल एहतियाती होने के कारण, आम तौर पर, मामले को आवश्यक रूप से

कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाए। यह नहीं है।

आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमों को एक संपूर्ण में निर्धारित करने के लिए व्यवहार्य

तरीके से। अतः निरोध प्राधिकारी की संतुष्टि है -

में कुछ अक्षांश के साथ प्राथमिक महत्व का माना जाता है अपने विवेक का प्रयोग।

15. बंदी की ओर से अगला विवाद,

इस दलील पर निरोध आदेश कि दोनों के बीच अंतर है

" कानून और व्यवस्था "और" सार्वजनिक व्यवस्था "को भी बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में मान्यता दी कि सार्वजनिक व्यवस्था है

समुदाय के जीवन की सम गति देश को एक के रूप में ले रही है

पूरा या यहाँ तक कि एक निर्दिष्ट इलाका। [वीडियो पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम। एम. एल. वधावन [(1987) 3 एससीसी 367: 1987 एससीसी (सीआरआई)

526] , एस. सी. सी. पैरा 11 और 14; राम मनोहर लोहिया बनाम। की स्थिति

बिहार [ए. आई. आर 1966 एस. सी. 740: 1966 क्रि एल. जे. 608: (1966) 1 एससीआर 709]

; भारत संघ बनाम। अरविंद शेरगिल [(2000) 7 एससीसी 601: 2000

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1422], एस. सी. सी. पैरा 4 और 6; सुनील फुलचंद शाह बनाम। भारत संघ [(2000) 3 एस. सी. सी. 409: 2000 एससीसी (सीआरआई)

659] , एस. सी. सी. पैरा 28 (संविधान पीठ); कम्र. पुलिस वी. सी. अनीता [(2004) 7 एससीसी 467: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1944], एस. सी. सी. पैरा 5,

7 & 13.] "

इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 14 और 15 में दिया गया बयान था -

उन तथ्यों पर जो वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग थे जैसा कि उसके पैराग्राफ 16 और 17 में परिलक्षित होता है जो इस प्रकार हैं:

" 16. हम पहले से ही दिनांकित 18-7-2011 के जमीनी मामले के संदर्भ में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की चर्चा, विश्लेषण और अंतिम निर्णय को निकाल चुके हैं। यह स्पष्ट है कि "अरुवल" से लैस बंदी अपने सहयोगियों के साथ "कट्टा" से लैस शिकायतकर्ता के स्थान पर आया था। बंदी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। उनके सहयोगी

उसे धमकी भी दी। बंदी ने न केवल धमकी दी

शिकायतकर्ता के पास "अरुवल" जैसे हथियार थे लेकिन उसने दुकान में उपलब्ध संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। जब शिकायतकर्ता ने बंदी और उसके सहयोगियों से पूछताछ की, तो बंदी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जब शिकायतकर्ता ने बचाव के लिए शोर मचाया, तो अंदर और आसपास आम जनता के आने पर उन्हें भी धमकी दी गई

बंदी और उसके सहयोगी कि वे उन्हें मार डालेंगे।

17. नजरबंदी के आधार पर यह भी देखा जा सकता है कि बंदी और उसके सहयोगियों द्वारा हथियार दिखाने की धमकी के कारण,

आस-पास के दुकानदारों ने डर से अपनी दुकानें बंद कर दीं और ऑटो चालकों ने अपने स्टैंड से उनके ऑटो ले लिए और वहां से चले गए। हिरासत में लिए गए अधिकारी के अनुसार, उपरोक्त दृश्य ने जनता में दहशत पैदा कर दी। ऐसी परिस्थितियों में, बंदी और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए दृश्य को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है जैसा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो जनता के हितों की रक्षा और रक्षा करता है। तदनुसार, हम विद्वानों द्वारा उठाए गए तर्क को अस्वीकार करते हैं।

अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ वकील। "

यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला था जिसमें 'सार्वजनिक व्यवस्था' सीधे प्रभावित हुई थी न कि ऐसा मामला जिसमें अकेले 'कानून और व्यवस्था' प्रभावित हुई थी।

और इस प्रकार तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से अलग किया जा सकता है।

22. यममान ओंगबी लेम्बी लीमा बनाम। मणिपुर राज्य (2012)

2 एस. सी. सी. 176, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि निवारक निरोध आदेश कब खराब होगा, क्योंकि सामान्य कानून का सहारा लेना पर्याप्त होगा।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]किसी मामले के तथ्य, विशेष रूप से जमानत देने के संबंध में

जी प्रदान किया गया। इस न्यायालय ने कहाः

" 23. अपनी ओर से की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करना

संबंधित पक्षों में से, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि

(संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की असाधारण शक्तियों का प्रयोग तत्काल मामले में आवश्यक नहीं था, जहां

निरोध किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं करता है जो इससे पहले थी अधिकार को हिरासत में लेना, इस तथ्य के अलावा कि हर

यममन सोमेंड्रो के जमानत पर रिहा होने की संभावना हिरासत के आदेश का समर्थन करने के लिए उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

24. संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है किः " 21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "।

तत्काल मामले में, हालांकि शक्ति संबंधित अधिकारियों के पास निहित है, जब तक कि उन्हें उचित तरीके से लागू और लागू नहीं किया जाता है, तब तक निरोध प्राधिकारी की ऐसी कार्रवाई को बनाए नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा निरोध आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (2) के प्रावधानों के लिए एक अपवाद है।

25. जब अदालतों ने अपीलार्थी के पति को उन मामलों के संबंध में जमानत पर रिहा करना उचित समझा, जिनके संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो केवल यह आशंका कि उनकी नजरबंदी के आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, उचित नहीं है।

XXX XXX XXX

27. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के विभिन्न मामलों में देखा गया है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भाग III में संविधान के तहत गारंटीकृत सबसे मूल्यवान और मूल्यवान अधिकार है। वहाँ से। राज्य को आपराधिक कानूनों के तहत और निवारक निरोध के कानूनों के तहत भी ऐसे अधिकारों पर अंकुश लगाने की शक्ति दी गई है, इसलिए, जिनका उपयोग उचित सावधानी के साथ-साथ तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर किया जाना आवश्यक है कि क्या

इस तरह के कार्य किसी भी तरह से राज्य और उसके नागरिकों के हित और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, या सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है।

दंड संहिता के तहत अपराध की घटना, चाहे कितनी भी जघन्य क्यों न हो, आदेश जारी करने के लिए मामला बनाने के लिए अपर्याप्त है।

निवारक हिरासत "।

इस निर्णय का अनुसरण मुंगाला यादम्मा बनाम में किया गया था। की स्थिति

(2012) 2 एस. सी. सी. 386, निम्नानुसार हैः

" 7. की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद

संबंधित पक्ष, हम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

मामला [(2011) 5 एस. सी. सी. 244: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 596], हमारे विचार में, इस मामले के तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करता है। अपराधों अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत ऐसी प्रकृति की होती है जिससे देश के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है। सहारा लेते हुए

निवारक निरोध के प्रावधान इसके विपरीत हैं

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित संवैधानिक गारंटी

संविधान और पर्याप्त आधार बनाए जाने चाहिए ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों को हिरासत में लेना।

8. वास्तव में, हाल ही में, यममान ओंगबी लेम्बी लीमा बनाम। मणिपुर राज्य [(2012) 2 एस. सी. सी. 176] के पास एक ही मुद्दे पर विचार करने का अवसर था और तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि

किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान और मूल्यवान अधिकार है। उसके भाग III में संविधान के तहत गारंटी। राज्य

आपराधिक के तहत ऐसे अधिकारों पर अंकुश लगाने की शक्ति दी गई है

कानून, और निवारक निरोध के कानूनों के तहत भी, जो,

इसलिए, उचित सावधानी के साथ भी प्रयोग करने की आवश्यकता है

तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर कि क्या ऐसा है अधिनियम किसी भी तरह से हितों और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं

राज्य और उसके नागरिक, या सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करते हुए, ऐसा आदेश जारी करने की गारंटी देते हैं।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित अपराध ऐसे हैं जो आंध्र के तहत दंड को आकर्षित करते हैं। प्रदेश निषेध अधिनियम, लेकिन हमारे विचार में इसके तहत किया जाना चाहिए

उक्त कानून और निवारक निरोध कानूनों का सहारा लेना

इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लेना शामिल है ताकि उसे कुछ प्रकार के अपराध करने से रोका जा सके। लेकिन इस तरह की नजरबंदी नहीं की जा सकती

साधारण कानून को प्रतिस्थापित करें और जाँचकर्ता को दोषमुक्त करें अपराधों की जाँच के अपने सामान्य कार्यों के अधिकारी जो बांका स्नेहा शीला बनाम।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे]

बंदी ने अपराध किया होगा। आखिरकार, निवारक हिरासत में

अधिकांश मामले केवल एक वर्ष के लिए होते हैं और इन्हें एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

रेखा में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करते हुए मामला [(2011) 5 एस. सी. सी. 244: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 596] हम अनुमति देते हैं

अपील करें और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दें

20-7-2011 [उच्च न्यायालय ने मुनगाला के माध्यम से इसे खारिज कर दिया

यादम्मा वी। ए. पी. राज्य, 2011 का डब्ल्यू. पी. (सी. आर. आई.) सं. 13313, आदेश

दिनांकित 20-7-2011 (AP)] और दिनांकित निरोध आदेश को भी रद्द कर दें

15-2-2011 , कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, रंगा द्वारा जारी किया गया

रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश "।

23. श्री गौरव अग्रवाल और श्री रंजीत कुमार ने भी इसका उल्लेख किया

समा अरुणा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। तेलंगाना राज्य (2018) 12 एस. सी. सी. 150 और कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट बनाम। संगला कोंडम्मा (2005) 3 एस. सी. सी. 666 क्रमशः। चूँकि हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य आधारों में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इन निर्णयों में निर्धारित कानून पर चर्चा करना अनावश्यक है।

24. इस मामले के तथ्यों पर, जैसा कि हमने बताया है, यह है

यह स्पष्ट करें कि अधिकतम स्तर पर, कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका जताई जा सकती है यदि यह आशंका जताई जाती है कि यदि बंदी रिहा किया जाता है, तो वह भोली-भाली व्यक्तियों को धोखा देना जारी रखेगा। यह अच्छा हो सकता है जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने और/या जमानत रद्द करने का आधार लेकिन

निश्चित रूप से एक निवारक के तहत स्थानांतरित करने के लिए स्प्रिंगबोर्ड प्रदान नहीं कर सकता है

जमीन।

निरोध कानून। इसलिए हम इस पर हिरासत के आदेश को रद्द करते हैं।

नतीजतन, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा तर्क दिए गए किसी भी अन्य आधार में जाना अनावश्यक है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और बंदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार, अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन